



**कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

क्रमांक/130 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रति,

सुकमा, दिनांक 24/1/2024

✓ प्रभारी अधिकारी
(एन.आई.सी.)
जिला-सुकमा(छ.ग.)

विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अंतर्गत जारी सूचना पत्र को जिले के राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु।

--00--

विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम चिन्नापारा से जीरमपाल मार्ग के कि.मी. 3/4, मलगेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम जीरमपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में हितबद्ध व्यक्तियों को दिनांक 29.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में सुनवाई किया जाएगा।

अतः इस पत्र के साथ प्रभावित कृषकों का सूचना पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया जारी सूचना पत्र को जिले के राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड किए जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न:- सूचना पत्र(03 कृषक)

(Signature)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)
सुकमा, दिनांक 24/1/2024

पृ.क्रमांक/130 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रतिलिपी:-

- 1- कलेक्टर(भू-अर्जन शाखा), जिला-सुकमा(छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ। एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु सूचना पत्र संलग्न कर सादर प्रेषित है।
- 2- तहसीलदार, तहसील-गादीरास को सूचनार्थ कर लेख है कि संलग्न सूचना पत्र को संबंधित कृषक को तामिल कराते हुए पावती इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। तथा सूचना पत्र की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सुकमा को सूचनार्थ एवं संलग्न सूचना पत्र को कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 4- सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत जीरमपाल को सूचनार्थ कर लेख है कि संलग्न सूचना पत्र को कार्यालय ग्राम पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कर संबंधित कृषक को अवगत कराने की कार्यवाही की जावे।
- 5- कार्यालयीन सूचना पटल में चस्पा हेतु।

(Signature)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)





**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300014/अ-82/2021-22

क्रमांक/131
प्रति,

/प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023

सुकमा, दिनांक 30.1.2024

पोड़ियामी चिंगा पिता भीमा
ग्राम-जीरमपाल, प.ह.न.12
तहसील-सुकमा(छ.ग.)

--00--

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, चिन्नापारा से जीरमपाल मार्ग के कि.मी. 3/4 मलगेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 29.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	जीरमपाल	619/6	0.110	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	पोड़ियामी चिंगा पिता भीमा	-	पोड़ियामी चिंगा पिता भीमा	चिन्नापारा से जीरमपाल मार्ग के कि.मी.3/4 मलगेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-29.01.2024



(Signature)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300014/अ-82/2021-22

क्रमांक/132 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रति,

सुकमा, दिनांक 30/1/2024

पोड़ियामी हिड़मा पिता देवा
पायके पिता देवा
पोजे पिता देवा
ग्राम-जीरमपाल, प.ह.न. 12
तहसील-सुकमा (छ.ग.)

--00--

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, चिन्नापारा से जीरमपाल मार्ग के कि.मी. 3/4 मलगेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 29.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	जीरमपाल	619/3	0.300	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	पोड़ियामी हिड़मा पिता देवा पायके पिता देवा पोजे पिता देवा	-	पोड़ियामी हिड़मा पिता देवा पायके पिता देवा पोजे पिता देवा	चिन्नापारा से जीरमपाल मार्ग के कि.मी. 3/4 मलगेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-29.01.2024

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा (छ.ग.)



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300014/अ-82/2021-22

क्रमांक/133 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रति,

सुकमा, दिनांक 30.1.2024

पोड़ियामी हुंगी पिता देवा
ग्राम-जीरमपाल, प.ह.न.12
तहसील-सुकमा(छ.ग.)

--00--

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, चिन्नापारा से जीरमपाल मार्ग के कि.मी. 3/4 मलगेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 29.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"
(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	जीरमपाल	622/2, 623	0.011 0.007	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	पोड़ियामी हुंगी पिता देवा	-	पोड़ियामी हुंगी पिता देवा	चिन्नापारा से जीरमपाल मार्ग के कि.मी.3/4 मलगेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-29.01.2024

(Signature)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)



**सरल कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा**

अधिसूचना

क्रमांक/3198/रीडर/अ-82/2022-23

दिनांक 24.11.2023

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि का ग्राम चिन्नापारा से जीरमपाल मार्ग के कि.मी. 3/4 मलगेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

1. जिला - सुकमा
2. तहसील - गादीरास
3. ग्राम - जीरमपाल
4. भूमि का क्षेत्रफल- 0.428 हे.

क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
1	2	3	4
1.	पोडियामी हिड़मा पिता देवा, पायके पिता देवा, पोर्जे पिता देवा, वर्ग- अजजा जाति गोंड, सा. दे. भूमिस्वामी	619/3	0.300
2.	पोडियामी चिंगा पिता भीमा, वर्ग- अजजा, जाति गोंड, सा. देह भूमिस्वामी	619/6	0.110
3.	पोडियामी हुंगी पिता देवा, वर्ग- अजजा, जाति गोंड, सा. देह भूमिस्वामी	622/2	0.011
		623	0.007
	योग:-	कुल खसरा संख्या-04	0.428

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सुकमा में किया जा सकता है.
3. उक्त भूमि का अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
(हरीश. एस)

कलेक्टर, जिला सुकमा
एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा

//अधिसूचना//

क्रमांक /3198/रीडर/अ-82/2022-23

दिनांक 24.11.2023

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि का ग्राम चिन्नापारा से जीरमपाल मार्ग के कि.मी. 3/4 मलगेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

//अनुसूची//

भूमि का वर्णन :-

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1-जिला | - सुकमा |
| 2-तहसील | - गादीरास |
| 3-ग्राम | - जीरमपाल |
| 4- भूमि का क्षेत्रफल | - 0.428 हे. |

क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4
1	पोड़ियामी हिड़मा पिता देवा, पायके पिता देवा, पोजे पिता देवा, वर्ग- अजजा, जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी	619/3	0.300
2	पोड़ियामी चिंगा पिता भीमा, वर्ग - अजजा, जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	619/6	0.110
3	पोड़ियामी हुंगी पिता देवा, वर्ग - अजजा, जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	622/2	0.011
		623	0.007
योग :-		कुल खसरा संख्या -04	0.428

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सुकमा में किया जा सकता है।
- उक्त भूमि का अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(हरीस. एस.)

कलेक्टर, जिला सुकमा

एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जी-06439/1

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर जगदलपुर, दिनांक 2 जनवरी 2024

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2023-24. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	जगदलपुर/देहात प.ह.नं. 05	0.053	आयुक्त, नगरपालिक जगदलपुर	दलपत सागर वार्ड क्रमांक 18, विद्या ज्योति स्कूल के सामने से गायत्री नगर तक (चित्रकोट रोड बिनाका माल के सामने गली) में रोड एवं नाली निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/आयुक्त, नगरपालिक निगम, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय दयाराम के, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सुकमा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

सुकमा, दिनांक 24 नवम्बर 2023

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-सुकमा
(ख) तहसील-गादीरास
(ग) नगर/ग्राम-जीरमपाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.428 हेक्टेयर

क्रमांक/3198/रीडर/अ-82/2022-23. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
619/3	0.300
619/6	0.110
622/2	0.011

	(1)	(2)
	623	0.007
योग	04	0.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम चिन्नापारा से जीरमपाल मार्ग के किमी. 3/4 मलगेर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग प्रयोजन के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरीस. एस. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 14 जुलाई 2023

क्रमांक/2108/अ-82/2021-22/2023.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-कोण्डागांव
- (ख) तहसील-मर्दापाल
- (ग) नगर/ग्राम-बयानार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.929 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	एकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
185/110	1.524
197/6	0.405

योग 2 1.929

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम-बयानार, तहसील-मर्दापाल व्यपवर्तन अन्तर्गत सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2023

क्रमांक/2398/प्रशा./स्था./2023.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक ई-1-01/2023/एक-2 नवा रायपुर, दिनांक 22-12-2023 द्वारा श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994) प्रमुख सचिव, वन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग एवं प्रमुख आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

श्री मनोज कुमार पिंगुआ, द्वारा अध्यक्ष, छ.ग.मा.शि.मण्डल के पद पर दिनांक 26-12-2023 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है.

कृपया भविष्य में अध्यक्ष, छ.ग.मा.शि.मण्डल, रायपुर में संबंधित समस्त पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते पर करने का कष्ट करें :-

श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994)

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

कार्यालय दूरभाष नं.-0771-2999300

प्रोफेसर व्ही. के. गोयल,
सचिव.